भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2169

गुरूवार, 18 दिम्बर, 2025 / 27 अग्रहायण, 1947 (शक)

असंगिठत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

2169 श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा श्रम संहिताएं देश में असंगिठत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्रम संहिताओं में असंगिठत कामगारों के लिए ईएसआईसी सुविधाएं शामिल हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक उपबंधों को समामेलित करने, सरल और युक्तिसंगत बनाने के पश्चात चार श्रम संहिताएं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 तैयार की हैं। चार श्रम संहिताएं दिनांक 21 नवंबर, 2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं।

चारों श्रम संहिताएँ परिभाषाओं एवं प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाती हैं तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। साथ ही, ये असंगठित कामगारों सहित कामगारों को उपलब्ध संरक्षण को सुदृढ़ करती हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

• असंगठित कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर।

• रोजगार के नए रूपों के अनुरूप, एग्रीगेटर, गिग कामगार, प्लेटफॉर्म कामगारों की परिभाषाएं निर्धारित की गईं।

• कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की सार्वभौमिक कवरेज को वर्तमान में अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा दिया गया है।

जारी..2/-

• ईएसआईसी का लाभ स्वैच्छिक आधार पर 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को दिया गया।
• जोखिमपूर्ण कार्यों से जुड़े एकल कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य ईएसआईसी कवरेज।
• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सार्वभौमिक कवरेज, अब 20 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 45 के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से असंगठित कामगारों, गिग कामगारों एवं प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ऐसी योजनाएँ बना सकती है, जिनके अंतर्गत अध्याय IV (ईएसआईसी) के तहत निगम द्वारा देय लाभ प्रदान किए जा सकें।

इसके अतिरिक्त, मजदूरी संहिता 2019

• पिछले अधिनियम में अनुसूचित रोजगार की तुलना में सभी रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमीकरण।
• 'फ्लोर वेज' को सांविधिक बना दिया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें फ्लोर वेज से कम नहीं होंगी।
• लैंगिक निरपेक्षता (जेंडर न्यूट्रेलिटी) को बढ़ावा देना और ट्रांसजेंडर सहित भर्ती और मजदूरी भुगतान में भेदभाव को प्रतिबंधित करना।
• सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान।
• 50% से अधिक भत्तों को वेतन का हिस्सा बनाया गया है जिससे प्रसूति प्रसुविधा, उपदान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान आदि में वृद्धि होगी।

साथ ही, ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020

• नियोक्ता, निर्दिष्ट आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करेगा।
• अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार की परिभाषा का विस्तार किया गया है जिसमें ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रवासी कामगार और स्व-प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। वे (क) वार्षिक एकमुश्त यात्रा भत्ता, (ख) लाभों की पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की कवरेज अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों तक सीमित रहने के बजाय अब पूरे देश (अखिल-भारत) में विस्तारित कर दी गई है। इसके अलावा, ईएसआईसी कवरेज स्वैच्छिक आधार पर 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित खतरनाक व्यवसाय में लगे ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी ईएसआईसी के अंतर्गत लाभ लागू किए जा सकते हैं, जिनमें केवल एक ही कर्मचारी कार्यरत हो।
